

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
आज्ञा - पत्र

उनवान

रामवतार बनाम मोहनलाल


किस्म मुकद्दमा द्वारा - 223 मि. नं. 2021/76 सन्

अभिभाषक अपीलाट श्री चन्द्रप्रकाश खडेलवाल अभिभाषक रैस्पोंडेंट
श्री प्रमोद सिंह - कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

06-04-22

पत्रावली पेश हुई। अपीलाट रामवतार की ओर से श्री चन्द्रप्रकाश खडेलवाल एड० द्वारा वकालत-नामा पेश किया। अभिभाषक अपीलाट द्वारा रुक प्रार्चना पत्र बाबत विद्वो किये जाने अपील पेश किया। प्रार्चना पत्र में अपीलाट व रैस्पोंडेंटगण के बीच समझौता (राजी-नामा) हो गया है। अपीलाट अपील को आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः अभिभाषक अपीलाट के पत्रानुसार As a विद्वोल की जाकर खारिज की जाती है। पत्रावली फेंसल शमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।


 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
 कोटा (राज०)



स्टे बंध



रीडर
श्री बृजराज सिंह जोशी
द्वारा पेश की (बाद जोष
रिकॉर्ड होकर पेश की)

(महोदय लोका)
भू-प्रमुख अधिकारी
एवं
पक्ष न्यायालय अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)
28/6/2021

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय

कोटा केम्प बारां जिला बारां , राज0

रामावतार उम्र 73 वर्ष पुत्र श्री मन्नालाल जाति धाकड निवासी बमोरी तहसील
अटरू जिला बारां , राज0

- अपीलार्थी

- बनाम -

- 1- मोहनलाल उम्र 60 वर्ष पु श्री बिशनलाल जाति माली निवासी बम्बोरी
तहसील अटरू जिला बारां , राज0
- 2- कालूलाल उम्र 48 वर्ष पुत्र श्री रामकरण जाति धाकड निवासी बम्बोरी
तहसील अटरू जिला बारां , राज0
- 3- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अटरू जिला बारां राज0

- रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट विरुद्ध
अंतिम डिक्री व निर्णय दिनांक 03.05.2018
बउनवान मुकदमा मोहनलाल बनाम रामवतार
वगैराह दावा धारा 183 आर0 टी0 एक्ट वाद सख्या
81/2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू
जिला बारां, राज0

महोदय,

अपीलान्त निम्न आधारों पर यह अपील पेश कर निवेदन करता

है -

है -
[Signature]

रामावतार